

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—15/2022 (2022/23) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. रामचन्द्र पिता मांगीलाल सुथार सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भागुदेवी पुत्री मांगीलाल सुथार सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. भंवरी पत्नि गोपी सालवी निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. तेजा पिता खीमा रावत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. धमेन्द्र पिता हजारी बलाई निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. भंवरलाल पिता दीपा बलाई निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. रोड़ा पिता नोला रावत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. पुरण पिता गोपीलाल बलाई निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. मनोहर पिता गोकल बलाई निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. भोजा पिता गोकल बलाई निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. नारायण पिता गोकल बलाई निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. तुलसीराम पिता गोकल चावत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. कैलाश पिता सोहन चावत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. नाथु पिता मांगीलाल बलाई निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. मनोहर पिता हस्तहमल चावत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. बाबु पित मेघा रावत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा राजस्थान

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद—

प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 31.03.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम सरेवड़ी का बाड़िया पटवार हल्का सरेवड़ी तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1017 रकबा 0.46 है0, आराजी संख्या 1018 रकबा 0.60 है0, आराजी संख्या 1019 रकबा 0.26 है0 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 1.32 है0 भूमि खाता संख्या 74 पर दर्ज होकर स्थित है। इसी प्रकार ग्राम सरेवड़ी पटवार मण्डल सरेवड़ी में स्थित प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 1309 रकबा 0.48 है0, आराजी संख्या 1310 रकबा 0.44 है0, आराजी संख्या 1311 रकबा 0.04 है0 गे.मु. खड्डा, आराजी संख्या 1314 रकबा 0.02 है0 गे. मु. आवा कुल कित्ता 4 कुल रकबा 0.98 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 162 दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान



पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीगण ने दिनांक 25.12.2021 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 10.01.2022 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 14 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई एवं विपक्षी संख्या 15 फॉर्मल पक्षकार है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सरेवड़ी का बाड़िया पटवार हल्का सरेवड़ी तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1017 रकबा 0.46 है0, आराजी संख्या 1018 रकबा 0.60 है0, आराजी संख्या 1019 रकबा 0.26 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.32 है0 भूमि खाता संख्या 74 पर दर्ज होकर स्थित है। इसी प्रकार ग्राम सरेवड़ी पटवार मण्डल सरेवड़ी में रिथत प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 1309 रकबा 0.48 है0, आराजी संख्या 1310 रकबा 0.44 है0, आराजी संख्या 1311 रकबा 0.04 है0 गे.मु. खड्डा, आराजी संख्या 1314 रकबा 0.02 है0 गे.मु. आचा कुल किता 4 कुल रकबा 0.98 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 162 पर दर्ज रेकार्ड है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



(Signature)
31.3.2022
(सुन्दरलाल बम्बोड)
उपरवण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर रायपुर (मिलवाडी) वाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी:-सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-15/2022 (2022/23) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. रामचन्द्र पिता मांगीलाल सुथार सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भागुदेवी पुत्री मांगीलाल सुथार सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. भंवरी पत्नि गोपी सालवी निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. तेजा पिता खीमा रावत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. धमेन्द्र पिता हजारी बलाई निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. भंवरलाल पिता दीपा बलाई निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. रोड़ा पिता नोला रावत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. पुरण पिता गोपीलाल बलाई निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. मनोहर पिता गोकल बलाई निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. भोजा पिता गोकल बलाई निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. नारायण पिता गोकल बलाई निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. तुलसीराम पिता गोकल चावत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. कैलाश पिता सोहन चावत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. नाथु पिता मांगीलाल बलाई निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. मनोहर पिता हस्तहमल चावत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. बाबु पित मेघा रावत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा राजस्थान

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 12.03.2022 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम सरेवड़ी का बाडिया पटवार हल्का सरेवड़ी तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1017 रकबा 0.46 है0, आराजी संख्या 1018 रकबा 0.60 है0, आराजी संख्या 1019 रकबा 0.26 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.32 है0 भूमि खाता संख्या 74 पर दर्ज होकर स्थित है। इसी प्रकार ग्राम सरेवड़ी पटवार मण्डल सरेवड़ी में स्थित प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 1309 रकबा 0.48 है0, आराजी संख्या 1310 रकबा 0.44 है0, आराजी संख्या 1311 रकबा 0.04 है0 गे.मु. खड्डा, आराजी संख्या 1314 रकबा 0.02 है0 गे.मु. आवा कुल किता 4 कुल रकबा 0.98 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 162 पर दर्ज रेकार्ड है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 500/-रुपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रुपये सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया।



31.3.2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा